45

संख्याः 31 /XXVI/दो (14)/2014

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 02 ~~फरवरी~~ मार्च, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्य–400, दिनांक–1 अप्रैल, 2015 तथा आपके पत्र सं0–2205/स्था/SSS/1/2015 दिनांक 14.01.2016 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–7 के लेखाशीर्षक–3454–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0101–भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना का कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन (100 प्रतिशत् के0स0) मद सं0–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार ₹ 28750000/–(₹ दो करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400, दिनांक 01.04.2015 के प्राविधानों के अधीन ही सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त स्वीकृति के कम में अनुरक्षण कार्यों के संपादन हेतु धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानान्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायगा।

3– वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 की नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

4– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा।

5– कार्यों की मासिक प्रगति प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

6– कार्यों पर होने वाले उक्त व्यय का सम्परीक्षण महालेखानियंत्रक, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाए।

shivm